मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन

भोपाल,दिनांक 12/2/2021

//अधिसूचना//

क्रमांक एफ–13–4/2017/बी–ग्यारह:: भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का संख्यांक 9) की धारा 71 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भागीदारी (फर्मो का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1951 में, जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त, 2020 में, उक्त अधिनियम की धारा 71 की उप–धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 19 में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात :–

"(एक) अधिकतम फीस– अधिकतम फीस निम्नानुसार उद्गृहीत की जाएगी :–

दस्तावेज या कृत्य जिसके संबंध में फीस देय है	अधिकतम फीस
(1)	(2)
धारा 58 के अधीन कथन	छह सौ पैंतीस रूपए
धारा 60 के अधीन कथन	एक सौ छब्बीस रूपए
धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना	एक सौ छब्बीस रूपए
धारा 62 के अधीन प्रज्ञापन	तिरसठ रूपए
धारा 63 के अधीन सूचना	एक सौ छब्बीस रूपए
धारा 64 के अधीन आवेदन	तिरसठ रूपए
धारा 66 की उप–धारा (1) के अधीन फर्म्स के रजिस्टर का निरीक्षण	तीस रूपए
धारा 66 की उप–धारा (2) के अधीन किसी फर्म्स से संबंधित दस्तावेज का निरीक्षण	तीस रूपए
धारा 67 के अधीन प्रतिलिपियां	पंद्रह रूपए (प्रत्येक सौ शब्द या उसके भाग के लिए)।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(बी. विजय दत्ता)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ–13–4/2017/बी–ग्यारह भोपाल,दिनांक 12/2/2021

प्रतिलिपि :–

1/ सचिव, भारत सरकार (मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स) गृह मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली–110001 की ओर उनके पत्र क्रमांक/16/39/97 दिनांक 4 मई 1998 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

2/ आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।

3/ रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल।

4/ नियत्रंक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

5/ समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

6/ समस्त सहायक पंजीयक,फर्म्स एवं संस्थाएं।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग